रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01102020-222159
CG-DL-E-01102020-222159

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3040] **नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 30, 2020/आश्विन 8, 1942**
No. 3040] **NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 30, 2020/ASVINA 8, 1942**

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2020

का.आ. 3410(अ).—केंद्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) तीसरा संशोधन आदेश, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) के खंड 29 में उपखंड (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"3. प्रत्येक उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला जो विनिर्दिष्ट या उपखंड (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित है, को परीक्षण और कैलिब्रेशन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय मान्यता बोर्ड से 28 सितम्बर, 2020 से दो वर्ष की अवधि के भीतर मान्यता प्राप्त करना अपेक्षित होगा ।"।

3. प्ररूप क1 में, क्रम सं. 3 में, "विपणनकर्ता" शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा ।

4. उक्त आदेश में, प्ररूप 'ञ' में,-

(क) क्रम सं. 1 में, "आयातकर्ता" शब्द के पश्चात्, "या विपणनकर्ता" शब्द अंतःस्थापित किए जाएं ;

(ख) व्यौहारी की रसीद शीर्षक के अधीन, "व्यौहारी/विनिर्माता/आयातकर्ता/पुल हैंडलिंग अभिकरण" के पश्चात्, "विपणनकर्ता" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

[फा. सं. 1-6/2020 उर्वरक विधि]

नीरजा आदिडम, संयुक्त सचिव

टिप्पण :- उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में, सा.का.नि. सं. 758(अ), तारीख 25 सितम्बर, 1985 द्वारा प्रकाशित किया गया था और अधिसूचना सं. का.आ. 2324(अ), तारीख 14 जुलाई, 2020 द्वारा अंतिम बार संशोधित किया गया था ।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare)

ORDER

New Delhi, the 29th September, 2020

S.O. 3410(E).— In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order, 1985, namely:-

1. (1) This Order may be called the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Third Amendment Order, 2020

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order, 1985, (hereinafter referred to as the said Order), in clause 29, after sub-clause (2), the following sub-clause shall be inserted, namely, -

"3. Every fertiliser testing laboratories specified or notified by the State Government under sub-clause (1) shall be required to obtain the accreditation of the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories within a period of two years from 28th day of September, 2020."

3. In Form A1, in serial number 3, the word "marketer" shall be inserted

4. In the said Order, in FORM 'J', -

(a) in serial 1, after the word "importer", the words "or Marketeer may be inserted;

(b) in the receipt of the dealer after the words Signature of Dealer or Manufacturer or Importer or Pool handling agency" the words "or Marketer" shall be inserted.

[F. No. 1-6/2020 Fert Law]

NEERAJA ADIDAM, Jt. Secy.

Note.- The Fertiliser (Control Order, 1985 was published in the Gazette of India, vide notification number G.S.R. 758 (E), dated 25th September, 1985 and was last amended vide notification number S.O. No. 2324 (E) dated 14th July, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA